आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

27.03.2024 समय : 1850

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कुल पन्द्रह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं।

- आज तीन निर्दलीय सहित कुल दस नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

- भारतीय चुनाव आयोग की ओर से श्री ब्रिजेश नरेन सिंह को अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

- सामान्य पर्यवेक्षक बी एन सिंह और पुलिस पर्यवेक्षक रवि जोसेफ लोकु ने कल द्वीपसमूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा तथा अन्य नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।

- पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों से द्वीपों में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में सहयोग देने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए कुल पन्द्रह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और आज कुल दस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार और सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले श्री कुलदीप राय शर्मा की ओर से गांधी भवन से अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया गया और बाद में उन्होंने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन भरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के के. मुत्थु के अलावा भारतीय जनता पार्टी के शेर सिंह, अंडमान निकोबार जनता पार्टी के वी.के अब्दुल अज़ीज और के. वेंकटराम बाबू, एआईएडीएमके के वी.एस भास्करण, एसयूसीआई कम्यूनिस्ट के सलामत मंडल के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार रिंकुमाला मंडल, आनन्द रामनाथ अरलेकर और ऊषा कुमारी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और तीस मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं।

<><><><><><><>

भारतीय चुनाव आयोग की ओर से श्री ब्रिजेश नरेन सिंह को अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वे चार जून तक साउथ प्वाइंट सर्किट हाउस में कमरा नम्बर दो सौ एक में शाम चार बजे से पांच बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे। उनसे फोन संख्या नौ पांच तीन एक नौ दो शून्य तीन तीन छः पर संपर्क किया जा सकता है।

उधर, श्री सत्यजीत मंडल को अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। श्री सत्यजीत मंडल द्वीपसमूह के अपने दूसरे दौरे पर पोर्ट ब्लेयर आए हुए हैं और अट्ठारह अप्रैल तक साउथ प्वाइंट सर्किट हाउस कमरा नम्बर एक सौ दो में उपलब्ध रहेंगे। आम जनता सुबह दस बजे से ग्यारह बजे के बीच उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फोन संख्या नौ पांच तीन एक नौ दो शून्य दो छः तीन पर भी इनसे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा द्वीपसमूह की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रवि जोसेफ लोक्कु को नियुक्त किया गया है। वे साउथ प्वाइंट सर्किट हाउस के सम्मेलन कक्ष में उन्नीस अप्रैल तक शाम चार बजे से पांच बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे। नौ पांच तीन एक नौ दो शून्य तीन दो चार पर भी उनसे संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने और किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों की ओर से पैसे बांटने की घटनाओं को रोकने के लिए आयकर विभाग कोलकाता की ओर से कोलकाता में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। चार जून तक चौबीसो घंटे कार्य करने वाले इस नियंत्रण कक्ष में नागरिक नगदी की लेन–देन से जुड़ी शिकायतें निशुल्क नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच पांच पांच चार चार पर दे सकते हैं। लैंड लाइन नम्बरों के अलावा जारी ई–मेल पर भी शिकायतें दर्ज कराया जा सकता है। नागरिकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

सामान्य पर्यवेक्षक बी एन सिंह और पुलिस पर्यवेक्षक रवि जोसेफ लोक्कु ने कल द्वीपसमूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा तथा अन्य नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें द्वीपसमूह में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षकों ने बताया कि कुछ प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकाएं हैं, जिनमें नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रकियाओं की निगरानी करना, नामांकन दाखिल करने की प्रकिया का वीडियो क्लीपिंग का परीक्षण करना और नामांकन की प्रकिया के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच करना, चुनाव चिन्ह के आवंटन के बारे में उम्मीदवारों की यदि कोई शिकायतें है, तो उसकी जांच करना, विभिन्न बैठकों की वीडियो क्लीपिंग देखकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की प्रभावी निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो मौके पर ही जानकारियां हासिल करने के लिए प्रमुख रैलियों का दौरा भी किया जाए। पर्यवेक्षकों ने ज़िला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान की भी समीक्षा की। इसके अलावा ज़िला पुलिस अधीक्षक के साथ कानून और व्यवस्था तथा विशेष बल की उपलब्धता की भी समीक्षा की। चुनाव पर्यवेक्षकों ने निर्वाचन अधिकारी परिसर कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मीडिया सेल के दौरे के दौरान उन्होंने एम सी एम सी टीम से मुलाकात की और कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर पर्यवेक्षकों ने चुनाव आचार संहिता को अच्छी तरह से लागू करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

<><><><><><><>

पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों से द्वीपों में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में सहयोग देने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेसियों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हुए पुलिस विभाग चुनाव सम्पन्न कराने के लिए तैयार है और इसमें सभी की सहयोग की आवश्यकता है।

श्री देवेश चन्द्र श्रीवास्तव से की गई बातचीत का प्रसारण कल सुबह नौ बजे आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से किया जाएगा। विषय रहेगा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रकिया में पुलिस की भूमिका।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बढ़ती गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। यह परामर्श मौसम विभाग के इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान की पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर ओ आर एस मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सके। इसके अलावा मतदान केन्द्रों पर पीने के पानी के लिए नल की स्थाई व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पेय जल के बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था भी करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। इसके अलावा मतदान केन्द्रों के अंदर टेबल, कुर्सी और बेंच की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग–अलग शौचालय होने चाहिए। साथ ही लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती मतदान केन्द्रों पर की जाए।

<><><><><><><>